कोटेशन नोटिस
कार्यालय- जिला न्यायालय चित्रकूट।

पत्र संख्या–

दिनांक 05.10.2018

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन पर जिला न्यायालय चित्रकूट में डिस्प्ले बोर्ड तथा थिन क्लाइंट लगाया जाना है, थिन क्लाइंट लगाये जाने जाने हेतु एक स्विच बोर्ड, जिसमें 16 एम्पियर के पांच स्विच एवं साकेट तथा एक्सटेंशन तार पांच मीटर तथा डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने हेतु 16 एम्पियर का एक स्विच एवं साकेट (वायरिंग केसिंग में हों) लगवाया जाना है, उक्त सभी सामग्री ब्राण्डेड एवं आई.एस.आई. मार्का की होना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भेजे गये पत्र के अनुसार 16 न्यायालयों हेतु (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1400/- रुपये मात्र) मु०-22,400/- (बाइस हजार चार सौ मात्र) रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। अतः थिन क्लाइंट लगाये जाने जाने हेतु एक स्विच बोर्ड, जिसमें 16 एम्पियर के पांच स्विच एवं साकेट तथा एक्सटेंशन तार पांच मीटर तथा डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने हेतु 16 एम्पियर का एक स्विच एवं साकेट (वायरिंग केसिंग में हों) मु० 1400/- रुपये की दर से कुल 16 न्यायालयों में फिटिंग सहित उक्त कार्य हेतु कोटेशन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक फर्म/संस्था, जरिये ई–मेल/डाक अथवा स्वयं दिनांक 15.10.2018 तक 4.00 बजे शाम तक कार्यालय में उपलब्ध कराये, जिसका ई–मेल, आई.डी. नम्बर dcchi@allahabadhigh court.in है। कोटेशन में 16 एम्पियर के पांच स्विच एवं साकेट तथा एक्सटेंशन तार पांच मीटर तथा डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने हेतु 16 एम्पियर का एक स्विच एवं साकेट (वायरिंग केसिंग में हों) का विवरण, तथा उत्पाद कर्ता का नाम, माडल एवं स्पेसिफिकेशन का उल्लेख भी आवश्यक है। साथ ही कोटेशन स्वीकार होने पर फर्म/संस्था को अपने खर्च पर उपरोक्त कार्य सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर द्वारा चिन्हित स्थान पर करवाना अनिवार्य होगा। कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्य की गुणवत्ता की रिपोर्ट सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर एवं नोडल अधिकारी कम्प्यूटर द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। माननीय जनपद न्यायाधीश चित्रकूट को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक 15.10.2018 को 4.30 बजे शाम खोले जायेगें। समय अवधि के बाद आने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिलिपिः–

01–सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
02–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड–1, कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
03–तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
04–अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
05–अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
06–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07–कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं मुनादी हेतु। रक्षक पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।
08– प्रभारी नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय चित्रकूट के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

05/10/18

सदस्य,क्रय समिति/ प्रभारी अधिकारी नजारत जिला न्यायालय, चित्रकूट।	सदस्य,क्रय समिति/ नोडल अधिकारी कम्प्यूटर जिला न्यायालय, चित्रकूट।	अध्यक्ष,क्रय समिति जिला न्यायालय, चित्रकूट।